न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—32/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/164)

1. ओमप्रकाश,
2. चेतराम,
3. रामलाल,
4. उम्मेद,
5. मिठूराम, पि0 नथ्या, जाति बैरवा निवासी संवास, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
6. विनोद पुत्री नथ्या पत्नि मांगीलाल, जाति बैरवा, निवासी संवास हाल मेहन्दीपुर बालाजी।
7. रामोत्रा पुत्री नथ्या, पत्नि अजीत, जाति बैरवा, निवासी सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 तथा भू अभिलेख अधिनियम 1957 के नियम 58, 60, 66, 86 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम संवास में स्थित खसरा नम्बर 632/334 में से मौजूदा समय में 10 फिट चौड़ी व 292 फिट लम्बी कुल 3.56 ऐयर डामर/सीसी सड़क बनी हुई है। इसलिये नक्शे में धारा 132 के तहत परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 24.02.2022 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल न्यायाधीश में वाद संख्या 11/22 व अन्तरिम टी. आई. दिनांक 02.02.2022 की प्रति पेश की इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैंधानिक तरिके से बिना समुचित सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिये ही तथा प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लिये वगैर ही तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुये तथा अन्तरिम टी.आई. होने के बाजूवद भी अवैध रूप से 2920 वर्ग फिट यानि 3.56 ऐयर भूमि गैर मु. रास्ता स्वीकृत करने के अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि सिविल न्यायाधीश के यहॉ विचाराधीन प्ररकण में उप जिला कलक्टर सिकराय भी

P.T.O.

पक्षकार है तथा सिविल न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के वर्तमान मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथास्थिति रखने हेतु आदेश जारी कर रखे है और अभी तो सिविल न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना शेष है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित करने का अधिकार नही था। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 6 व 7 जो कि मृतक नाथ्या की जाईन्दा पुत्रियॉ है, उसकी वारिस व उत्तराधिकारी है, उनको प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही व उनको सुनवाई का अवसर दिये वगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें होकर कभी भी कोई रास्ता नही था, ना ही कभी रहा, और ना ही वर्तमान में है बल्कि उक्त भूमि में अपीलान्ट ने पुख्ता रिहायशी मकानात, बाडा, पाटोल टिन सैड, शौचालय, बोरिंग आदि निर्माण कर रखा है तथा काबिज है। ऐसी सूरत में रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नही होता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम तथ्यों पर बिना विचार किये ही बल्कि अन्य पक्ष को लॉभ पहुॅचाने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व उप तहसीलदार सिकन्दरा की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 25.01.2022 के अनुसार ग्राम सवांस के खसरा नम्बर 632/334 में से मौजूदा समय में 10 फीट चौड़ा एवं 292 लम्बा कुल 3.56 ऐयर में डामर/सीसी सड़क बनी हुई मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 पारित किया गया है जबकि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 632/334 में होकर मौके पर खसरा नम्बर 340 में जाने के लिये कोई रास्ता चालू ही नही है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2022 एवं 09.11.2022 एक दूसरे के विरोधाभाषी है तथा साथ ही प्रकरण में भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 11/2022 उनवान ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 21.02.2022 को भूमि विवादग्रस्त के मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश पारित किये गये है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश भी की गई है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**P.T.O.**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।